HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 13544/2026
CNR: RJHC020830432026 | URN: CRLMB / 25042U / 2026

Dharmendra @ Lukka S/o Vijay Singh, R/o Dev Ka Pura Mauroli, Police Station Kotwali, District Dholpur Raj. (At Present Confined In District Jail, Dholpur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Jai, Adv. Mr. Dushyant Jain, Adv. Mr. Udit Sapra, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

29/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी एन एस एस की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना **कोतवाली धौलपुर, जिला धौलपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**206/2024** अपराध अन्तर्गत **धारा 399, 402 भा. दं.सं. व धारा 3/25(6) आयुध अधिनियम** में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिये जाने के आधार पर खारिज किया गया था तथा तत्समय न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि छह माह में प्रकरण के विचारण में कोई सारवान प्रगति नहीं होती है तो नवीन आवेदन पेश किया जा सकता है। करीब एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, लेकिन विचारण में कोई सारवान प्रगति नहीं हुई है, अभियुक्त दिनांक 27.05.2024 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.02
10:52:56 IST

स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि वह अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर हथियारों से लेश होकर मौके पर डकैती की योजना बना रहा था। यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकोर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 27.05.2024 से अभिरक्षा में है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि, विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का पुत्र विजय सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

157/Murari Lal Sharma